सक्षम अधिकारी [illegible] का कार्यालय

निर्णय वाद संख्या 117/2016

[illegible] (प्र [illegible]) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के अन्तर्गत [illegible] कार्यवाही से सम्बन्धित।

01.07.2020

[illegible] 2074 [illegible] दिनांक [illegible] 2016 [illegible] भूमि [illegible] 2018 [illegible] भूमि [illegible] भूमि के अन्तर्गत [illegible]

[illegible] 184 [illegible] 1980 [illegible] भूमि [illegible] अन्तर्गत [illegible]

[illegible] की [illegible] किया गया है।

[illegible] अधिकारी [illegible] के [illegible] आदेश [illegible]

[illegible] विधि [illegible] भूमि सुधार अधिनियम [illegible] किया जाना [illegible] है।

[illegible] भूमि [illegible] (अन्तर्गत) भूमि सुधार [illegible] अनुमोदित किया [illegible]

[illegible]

[illegible] को हस्ताक्षरित [illegible]

सक्षम अधिकारी

[illegible]

आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कारवाई पर टिप्पणी
	अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख मे संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत के द्वारा उपस्थित। जमाबंदी रैयत गोला मुण्डा पिता लेठा मुण्डा के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप सरकारी लगान रसीद सं0 0409104503 वर्ष 2019–20 प्रस्तुत किया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है ,	
	जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा समुन्दर, थाना न0 27 के सर्वे खतियान में खाता सं0 36 प्लॉट सं0 750 रकबा 1.00 एकड़ भूमि सर्वे खतियान मे गैरमजुरूआ खास परती कदीम दर्ज है.	
	राजस्व माग पंजी ii भाग I पृष्ट सं0 103 खाता सं0 36 प्लॉट सं0 750 रकबा 1.00 एकड़ भूमि गोला मुण्डा पिता लेठा मुण्डा के नाम से दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है।	
	संबंधित पक्ष के द्वारा भूमि बन्दोबस्ती / जमाबंदी से संबंधित पर्याप्त व नियमानुकुल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। रैयत द्वारा वर्षवार लगान जमा दर्ज नही पाया गया। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में संबंधित पक्ष का स्पष्ट दखल–कब्जा नहीं है।	
	राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा मौजा समुन्दर थाना नं0 27 खाता सं0 36 प्लॉट स0 750 रकबा 1.00 एकड़ भूमि का जमाबंदी रैयत गोला मुण्डा पिता लेठा मुण्डा के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुशंसा किया गया है।	
	अतः राजस्व उपनिरीक्षक एव अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा समुन्दर थाना नं0 27 खाता सं0 36 खेसरा सं0 750 रकबा 1.00 एकड़ भूमि की जमाबंदी को B.L.R ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत नियमानुसार रद्द करने की अनुशंसा की जाती है.	
	अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे।	
	लेखापित संशोधित।	
	अंचल अधिकारी कर्रा।	
	अंचल अधिकारी कर्रा।	